आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
www.grefiglobal.org/journals/navrachna.2019
वर्ष 5, अंक 1–2, जून–दिसम्बर 2019, पृ. 30–35

परम्परागत मुस्लिम समाज की आर्थिक व्यवस्थाः फातमी काल के विशेष सन्दर्भ में

रजिया परवीन

शोध सार

किसी भी प्रदेश का उचित रूप से संचालन करने हेतु आर्थिक व्यवस्था का उचित प्रबंधन करना अत्यंत अनिवार्य होता है। फातमी काल के खलीफा ने अन्य शासको की भांति आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सराहनीय प्रयास किए। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु कोषागार का निर्माण किया। समस्त राजनैतिक और सामाजिक कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु आर्थिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है इसीलिए आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ रखने के लिए इस्लाम धर्म ने कुछ विशेष नीतियों को अपनाया और उन पर दृढ़ता से अमल किया जिसके फलस्वरूप बिना किसी कठिनाई के आर्थिक व्यवस्था का संचालन होने लगा।

मूल अवधारणाएंः आर्थिक नीतियां, आर्थिक योगदान, खलीफा मुस्ताली की आर्थिक स्थिति, फातमी काल की आर्थिक स्थिति

फातमी काल के खलीफा अन्य शासकों की भांति नहीं थे, वरन बगदाद की भांति विशेष धर्मानुयायी थे, उनके राज प्रसाद बहुमूल्य रत्नादि सौंदर्य से भरपूर थे। विद्वान लेखक इबने असीर का कथन है कि फातमी खलीफाओं का युग धन–धान्य से परिपूर्ण था इनके राजकोष मे ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं थी जिनकी उपमा उस काल के अन्य स्थानों पर दुर्लभ थी। हाथ की एक छड़ी की मुट्ठी जमरूद की थी अनेकों ऐसे बहुमूल्य रत्न थे जिनकी जोड़ी संसार में मिलना दुर्लभ थी। मुसलमानों ने अपने प्रारंभिक राज्य काल में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके कोषागार का निर्माण किया और आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए उचित व्यवस्था करने में बुद्धिमानी से काम लिया। क्योंकि समस्त राजनैतिक एवं सामाजिक कार्य जैसे सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण तथा शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य एवं रक्षा तथा अनेकों प्रकार के कार्यों को करने के लिए आर्थिक दृढ़ता की

---

*डॉ रजिया परवीन, एसोसिएट प्रोफेसर, अरब कल्चर, नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज, लखनऊ

आवश्यकता होती है। इसीलिए आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए इस्लाम धर्म ने कुछ विशेष नीतियों को अपनाया और उन पर दृढ़ता से अमल किया जाने लगा। जिसके फलस्वरूप बिना किसी कठिनाई के धार्मिक पुण्य कमाने हेतु आर्थिक व्यवस्था का संचालन होने लगा। इस प्रकार कर दाता भी कर अदा करके हर्षित होता था और राजकीय कार्य भी सुगमता से कार्यान्वित होते थे। निम्नलिखित नीतियों द्वारा बैतुलमाल में धन एकत्र होता था–

1. जकात, 2. सदका, 3. खिराज, 4. जजिया, 5. माले गनीमत, 6. फैय, 7. उस्र, 8. इफता, 9. खुम्स, 10. जराइल, 11. कराउल आर्जे, 12. वक्फ ।

अरबो के कोषागार की आय का महत्वपूर्ण साधन जकात था। जकात शब्द का अर्थ, ''पवित्रता संपन्नता और बढ़ोतरी'' होता है जबकि व्यक्ति जकात अपने धन से निकाल कर देता है, अतः देखने में यह घटता हुआ प्रतीत होता है परंतु धार्मिक विश्वास के अनुसार उसमे बरकत (वृद्धि) होती है और शेष धन पवित्र हो जाता है। इसके अतिरिक्त जकात अदा करके व्यक्ति मानसिक रूप से प्रसन्न चित्त होता है। वास्तव में जकात अरबों की आर्थिक व्यवस्था का एक स्तंभ है और यह धन को पवित्र करने हेतु अदा किया जाता है। यह कोई उपकार नहीं है क्योंकि कुरान शरीफ एवं हदीस के अनुसार जकात अदा करना एक व्यक्ति का महान धार्मिक कर्तव्य है। जकात के विषय में एक बात सदैव याद रखने की है कि यह एक विशेष धनराशि है जो कुछ शर्तों के साथ समाज के निर्धन लोगों को दी जाती है अर्थात जो लोग एक निर्धारित मात्रा में संपत्ति रखते हैं उन्हें मालिक निसाब के नाम से जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति के पास साढ़े सात तोला सोना या साढ़े बावन तोला चांदी हो या उसके मूल्य के बराबर धन या अन्य सामान हो और वह एक वर्ष उसके पास रहे तो वह जकात देने का उत्तरदायी होगा। अमुक धन से कम मात्रा में होने पर जकात देना आवश्यक नहीं है। धन–संपत्ति एवं पैदावार को देखते हुए जकात पांच प्रकार की होती है।

- सोने, चांदी की जकातः इसके लिए यदि किसी व्यक्ति के पास 80 मिसकात सोना और 200 दिरहम चांदी हो तो उसका 40वां भाग जकात के रूप में अदा करना अनिवार्य है।
- पशुओं की जकातः इसके लिए यदि किसी व्यक्ति के पास ऊंट, बैल, गाय, भेड़, बकरी या घोड़ा आदि पशु व्यापार करने हेतु हो तो उसकी जकात देना अनिवार्य है। यदि व्यापार के लिए नहीं वरन अपनी निजी आवश्यकता के लिए हो तो जकात अनिवार्य नहीं है।
- व्यापारिक सामान की जकातः इसके लिए जिस सामान का व्यापार होता है उसके संपूर्ण धन का योग निकालकर 1⁄40वां भाग जकात करना अनिवार्य है।
- सोने, चांदी की खानों की जकातः इसके लिए यदि खान ऐसे क्षेत्र में निकाली गई हो जहां से प्राप्तकर्ता के संबंध ठीक नहीं है तो उसकी जकात 1/5 भाग होगी और यदि संबंध ठीक हैं और अपनी ही संपत्ति में से निकाली गई है तो उसकी मात्रा 1/40 होगी।
- अन्न के पैदावार की जकातः इसके लिए अनाज, मेंवा, फल, फूल की पैदावार पर भी जकात लागू होती है यदि उक्त फसल वर्षा, नदी, नालों, तालाबो द्वारा सीखी जाती है तो उसके उत्पादन 1/10वां भाग के रूप में देना अनिवार्य होता है और यदि यह किसानों द्वारा रहट, कुएँ आदि से सींची जाती है तो एक 1/20 भाग ही अनिवार्य जकात होगी। बैतुल माल की आय को बढ़ाने के लिए उपरोक्त मदों के अतिरिक्त कुछ और मदों से भी धन एकत्र किया जाता था जैसे – सदका।

<u>सदका</u>– यूं तो सदका आमतौर से पुण्य दान को कहते हैं वरन हदीस में यूं भी वर्णन हुआ है– रास्ते से दुखदायक वस्तुओं को हटा देना सदका है। परंतु अरबी राजस्व संबंधी सदका का अर्थ वह दान है जो रोजा समाप्त होने पर दिया जाए जिसे सदकाये फितर भी कहते हैं। यह अपनी ओर से व अपनी अवयस्क संतान की ओर से अदा करना अनिवार्य होता है। किसी और की ओर से बड़े बच्चों तथा मां–बाप की ओर से देना आवश्यक नहीं है। यदि पत्नी धनाढ्य हो तो पत्नी अपने धन से यह दान कर सकती है पति के धन से नहीं इसी प्रकार अवयस्क संतान भी यदि धनवान हो तो उसी से धन का दान करें। इसकी मात्रा निम्न प्रकार है–

प्रति व्यक्ति की ओर से पौने 2 किलो गेहूं, मोटा अनाज जैसे चना, जौ आदि हो तो साढ़े 3 किलो या उसके मूल्य के बराबर धन सदका कर सकता है।

<u>खिराज</u>– यह अरबी शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ लगान किराया, या महसूल है परंतु यहां पर इस शब्द का तात्पर्य भूमि से है जिस भूमि को अरबों ने संधि करके या युद्ध करके प्राप्त की तथा उन पर नगद या पैदावार की एक निश्चित मात्रा खिराज के रूप में भुगतान करना होता था और यह कर केवल अरब क्षेत्र में निवास करने वाले गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यह टैक्स अरबों से नहीं लिया जाता था। अरबों से पूर्व ईरानी और रूमी राज्यों ने भी इसे अपने वहां प्रचलित किया था। अरबों के शासकों ने इसमें संशोधन करके अपने यहां भी इस कर को बाकी रखा। इस कर का भुगतान दो प्रकार से किया जाता था–

1. पैमाइश
2. बटाई द्वारा।

प्रथम पैमाइश या अनुमान द्वारा जिस भूमि पर अरब विजय प्राप्त कर लेते थे उसको नाप कर या अनुमान लगाकर निर्धारित धन खिराज के रूप में लागू कर देते थे जो वार्षिक वसूली की जाती थी।

द्वितीय बटाई द्वारा भुगतान करने का यह नियम था कि उस भूमि की समस्त उत्पादन का एक 1/2 या 1⁄3 भाग पर वहां की प्रजा से समझौता कर लिया जाता था जो प्रतिवर्ष देना पड़ता था। हजरत मोहम्मद साहब ने खैबर के यहूदियों से अपने काल में 1/2 भाग बटाई के नियमानुसार समझौता किया था।

<u>जजिया</u>– जजिया कर एक निर्धारित धनराशि, जान व माल की रक्षा हेतु उन व्यक्तियों से वसूली जाती थी जो अरब राष्ट्र में निवास करते थे और उनकी रक्षा खलीफा के जिम्मे होती थी। इस प्रकार यह भेदभाव ना होना चाहिए कि यह कोई अतिरिक्त कर था जो गैर मुस्लिमों, यहूदियों और इसाई जनता से वसूल किया जाता था तथा मुसलमानों से जकात, सदका, उस्र के रूप में वसूल किए जाते थे। और यह समस्त धन वसूल करके देश के अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया जाता था जैसे बच्चों की शिक्षा, देश की रक्षा तथा अन्य कार्यों का संचालन इस ही धन द्वारा संपन्न किया जाता था। बैतूलमाल की आय को बढ़ाने के लिए जजिया कर वसूल किया जाता था जो इतना अधिक नहीं था कि प्रजा पीड़ित हो जाए। यह बहुत ही सरल नाम–मात्र का कर था जिसका भुगतान करके गैर मुस्लिम जनता मुस्लिम राज्य में सुरक्षित रहकर चैन की नींद सोती थी। यह तीन प्रकार की थी जो प्रतिवर्ष भुगतान की जाती थी–

1. धनवानो से 48 दिरहम जो आजकल रु.1071.37 के बराबर है।

2. मध्यम वर्ग के 24 दिरहम जो आजकल रु. 535.69 के बराबर है।
3. दुर्बल वर्ग से 12 दिरहम जो आजकल रु. 267.84 के बराबर है।

इसके अतिरिक्त यह बात उल्लेखनीय है कि कुष्ठ रोगी, अपंग, अंधे, पागल और बेसहारा लोगों से कोई भी कर नहीं लिया जाता था। इसी प्रकार बुद्धिजीवी भी इस कर से मुक्त थे। यह कर वसूल करने में सरलता का परिचय दिया जाता था, कभी भी कर वसूल करने में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता था तथा प्रजा की आर्थिक स्थिति के अध्ययन के पश्चात ही कोई कार्यवाही की जाती थी। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के काल में मुख्य न्यायाधीश अबू युसूफ ने जजिया कर की नीति को समाप्त करते हुए अपनी पुस्तक किताबुल खिराज में लिखा है कि प्रजा हमारी संतान के बराबर है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है इसके साथ उदारता की नीति व्यवहार करनी चाहिए।

धर्म परायण– खलीफा हजरत उमर ने अनेकों भाषणों में यह सिद्ध कर दिया कि जिम्मियों का ख्याल रखा जाए और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना दी जाए। इसी कारण अब्बासी काल में जिम्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष विभाग खोला गया था। अरबों ने अपने प्रशासन में जजिया कर लगाकर कोई नवीन विधि का निर्माण नहीं किया वरन अरबों से 500 शताब्दी पूर्व यूनानीयों ने अरबी एशियाई प्रजा पर इसे लागू किया था और अरबों ने कुछ संशोधन करके उसे अपने शासन–काल में भी लागू रखा।

माले गनीमत– शत्रु सेना से लड़ने के पश्चात युद्ध क्षेत्र में जो धन प्राप्त होता है उसे माली गनीमत कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है–

1. बंदी पुरुष
2. स्त्रियां और उनके बालक
3. धन–संपत्ति
4. भूमि क्षेत्र

इस्लाम धर्म के अनुसार इस विषय में अलग–अलग आदेश हैं। बंदी पुरुष प्राण मूल्य देकर छोड़े जा सकते हैं। शासक को बंदियों के बारे में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार था अतः यह भयंकर और खतरनाक बंदियों को प्राण दंड भी दे सकता था। इस काल में स्त्रियों व बालकों का कत्ल अवैध था अतः यह योद्धाओं में वितरित कर दिए जाते थे। इस वितरण में यह ध्यान दिया जाता था कि बालक अपनी माताओं के साथ रहे। भूमि क्षेत्र भी योद्धाओं में वितरित कर दी जाती थी या इन्हीं योद्धाओं की अनुमति से उसे सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में व्यय की जाती थी और युद्ध क्षेत्र में प्राप्त होने वाली संपत्ति फैय के समान पांच भागों में विभाजित होती थी जिसका 4/5 भाग योद्धाओं में वितरित किया जाता था। शेष 1/5 भाग बैतूलमाल में जमा कर दिया जाता था।

उस्र– अरबी भाषा के अनुसार किसी वस्तु के दसवें भाग को उस्र कहते हैं। इस प्रकार यह कर उन व्यापारियों से जो युद्ध क्षेत्र से आकर शांति क्षेत्र में अपना व्यापार करते थे तो उनकी संपूर्ण धन का 1/10 भाग वार्षिक कर के रूप में देना अनिवार्य था। शत्रु देशों या शत्रु सेना से बगैर युद्ध किए प्राप्त हो जाए जैसे हजरत मोहम्मद साहब अपने जीवन काल में इसके पाँच भाग कर के 1/5 भाग अपने पारिवारिक व्यय हेतु लेते थे और 4/5 भाग सभी लोगों में बांट देते थे। इस धन को प्राप्त करने वाले यतीम, निर्धन, योगी और देश की रक्षा करने वाले होते थे जिनमें बराबर यह धन बांट दिया जाता था।

जराइव– युद्ध काल में या अकाल के समय में जनता की बेरोजगारी को दूर करने के लिए जकात और सदका के अतिरिक्त जो टैक्स लगाया जाता था उसे जराइव कहते थे।

इस विचार के समर्थन में अरब जगत के एक बड़े विद्वान इब्ने हज्म ने अपनी पुस्तक ''मोहल्ला'' में लिखा है कि निर्धनों की सहायता हेतु बैतूल–माल के अन्य सामान पर्याप्त ना हो तो खलीफा मालदारों से अतिरिक्त टैक्स वसूल कर निर्धनों की सहायता करते थे।

<u>कराउल आर्ज</u>– इसका शाब्दिक अर्थ भूमि का किराया है। जिस भूमि को खलीफा या अमीर किसी वार्षिक धन या संपत्ति के बदले कृषि हेतु किसी को देता था, इससे जो उत्पादन होता है इसके ही द्वारा प्राप्त धन को कराउल आर्ज कहते हैं। यह भूमि उस क्षेत्र से अलग होती है जिस पर उस्र या खिराज का भुगतान किया जाता था।

<u>वक्फ</u>– यदि कोई व्यक्ति जो सामग्री, मकान या कोई अन्य संपत्ति अपने स्वामित्व से निकालकर जनता के हित में ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु दान में दे वह वक्फ कहलाता है। इस प्रकार वक्फ की संपत्ति से जो आमदनी होती है वह बैतूलमाल में जमा होती है और सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है।

<u>मिस्र में प्रकृति का आर्थिक योगदान</u>: मिस्र में वर्षा नहीं होती तथापि वह संसार के मुख्य कृषि उत्पादक केंद्रों में गिना जाता है और यह सब कुछ नील नदी का ही वरदान है जिसकी बांधों द्वारा सिंचाई की सुविधा तथा अधिक से अधिक भूमि कृषि के लिए उपयुक्त की जाती है और सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नील नदी 3473 मील लंबी है। हवश के पास इसमें दो नदियां मिलती हैं। इसके दोनों किनारों पर उपजाऊ भूमि तथा आवासीय नगर स्थित है। किलयूब ग्राम के निकट इसमें नहरों में पानी भेजकर सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसी कारण नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। यहां बाढ़ जून से सितंबर तक आती है जिससे नदी के किनारों तक पानी भर जाता है फिर बड़े बांधों तथा नहरो के द्वारा इस पानी को दूर–दूर तक पहुंचा कर सिंचाई का कार्य वश्हद रूप से सरकार करती है जिससे कृषि कार्य संपन्न होता है।

कहा जाता है कि इन्हीं नहरो के निर्माण कार्य की तैयारी में ही शून्य (0) अंक का प्रादुर्भाव हुआ था। मिस्र का अकाल भी अपनी एक महत्ता प्रस्तुत करता है। जब भी कभी अकाल पड़ा वहां की राजनीतिक स्थिति पर अवश्य ही अपना प्रभाव डाला।

मिस्र में इस प्रकार का अकाल फातमियों के काल में भी पड़ा और राजनैतिक आदान–प्रदान हुए। काफूर के दाब अखशैद का पुत्र अहमद अमीर था जिसकी आयु उस समय केवल 11 वर्ष की थी। सीरिया वालों ने इसे अमीर नहीं माना था बल्कि हसन अखशैद के हाथ पर बैत की थी इधर मिस्र में अकाल पड़ चुका था और मिस्र निवासी अकाल के कारण पीड़ित थे। छः लाख व्यक्तियों की मृत्यु अकाल और भूख के कारण हो गई थी। अब वह भूखे नहीं लड़ सकते थे अतः उन्होंने फातमी राज्य से अपने संबंध मधुर बनाए और राज्य–कर्मचारियों ने मुइज लेदीनिल्लाह को मिस्र पर अधिकार करने के लिए निमंत्रण भेजा और 358 हिजरी में जौहर शिकली ने मिस्र में प्रवेश किया। मिस्र में प्राचीन काल के शासकों को प्रसाद व मंदिरों से अधिक पिरामिड बनवाने का शौक था। यह बादशाहों के मकबरे थे जो हजारों वर्ष बीत जाने पर भी आज तक उसी दशा में बने खड़े हैं जैसे पहले थे। इन शासकों ने जीवित मानव के लिए महलों के निर्माण के पूर्व मश्त पूर्वजों के लिए एक उत्तम विशालकाय मूक नगर का निर्माण किया था। यह एहराम पिरामिड थे जो चारों ओर से त्रिशंकु दृष्टिगोचर होते थे। इनकी संख्या लगभग 38 है इसमें सबसे बड़ा हरम (पिरामिड) च्योपिस का है जो 2753 ई0 पूर्व का शासक था। यह हरम 480 फीट ऊंचा है जिसमें 70–70 मन के 23 लाख पत्थर लगे हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार हीरो डोटस ने अपने सफरनामा में लिखा है कि इस हरम के निर्माण में

लगभग एक लाख आदमी 20 वर्ष तक लगाए गए होंगे। त्रिशंकु भवनों में मृतक के शव को बहुमूल्य मसालों की सहायता से ममी बना कर रखा जाता था जो अब तक उसी प्रकार सुरक्षित देखी जा सकती है। इससे उस काल की सभ्यता एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है।

फातमी युग की आर्थिक स्थिति के बारे में विद्वान लेखक लेन पोल के विचार से यह ज्ञात होता है की फातमियों के महाप्रसाद में चार हजार बड़े कमरे, एक बड़ा भव्य दीवान बना हुआ था जिसमें सोने की जाली थी तथा समस्त भवन में सोने का काम बना था तथा खलीफा के बैठने हेतु सोने का एक तख्त था। इसमें संगमरमर के खंभे थे। महल के अंदर की बहुमूल्य वस्तुओं का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि खलीफा आदिद की मृत्यु के पश्चात सलाहुद्दीन के बहुमूल्य रत्नों में बारह अंगुल का एक जमर्रूद देखा था तथा उसमें एक याकूत जवले नूर नामक था। इसका भार 2400 कैरेट था। इसी प्रकार के अनेकों बहुमूल्य रत्न थे, बिल्लौर शीशे के बर्तन जिनमें सोने का काम था, संदूकचे एवं बड़े संदूक जिन पर सोने का काम था। बहुमूल्य लकड़ी की कुर्सियां तथा अन्य फर्नीचर जो आबनूस व हाथी दांत और चंदन द्वारा निर्मित थे, उच्चतम व सुंदर चीनी के प्याले व सुराहियां जिनमें कफूर व मुश्क भरा रहता था। फौलाद के दर्पण जिनको सोने व चांदी के चौखटो में जमर्रूद व लाल तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों द्वारा सजाया व जड़ा गया था। समाक पत्थर की मेजें तथा अन्य प्रकार के बहुमूल्य पात्र जिन पर सोने व चांदी का काम था, दीवार के पर्दे जो रेशम द्वारा निर्मित थे जिन पर शासकों के छाया चित्र सोने–चांदी की जरी द्वारा अंकित किए गए थे तथा इन सबके अतिरिक्त एक लाख बीस हजार पांडुलिपियां थीं।

यह स्थिति उस समय की है जब कि फातमी शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था और समस्त राजकीय कार्य मंत्री ही करते थे क्योंकि इस काल में शासक अल्पायु बालक होते थे। अतः राज्य के काम–काज मंत्री ही करते थे। उन्होंने राज्य की दशा को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया। समय के चक्र को तो वह ना बदल सके परंतु इतिहास के पत्रों में जो रोचकता दृष्टिगोचर होती है उनकी ही सूझबूझ और साहस का प्रतीक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

मुसलमानों का नज्म ममलकत पृष्ठ–267 ।

सही बुखारी शरीफ–अलजामए अहकामुल कुरान, पृष्ठ–11 ।

अबुल फरज बिन जाफर अल कातिब अल बगदादी किताबुल खिराज, लेडन 1889 ईस्वी, पृष्ठ 69–72,

अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन हबीब अल बसरी अल अहकामुल सुल्तानिया, काहिरा 1298 हिजरीः पृष्ठ 139 ।

सैयद आमिर अली– अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दा साराकिअस, लंदन, 1921 पृष्ठ 415

अल अहकामुल सुल्तानिया, पृष्ठ–135 ।

अबुल अब्बास अहमद– शुवहुल इशा, काहिरा 1931 ईस्वी, पृष्ठ 3, 263 ।

मकजीरी शरीफ, सुरा 12, पारा 12 ।

दायरतुल मआरिफ, पृ.सं. 17,82 ।

तारीख–ए–मिल्लत, भाग 10, पृष्ठ 5,40 ।